

जिला मजिस्ट्रेट
शीलवाड़ा (राज.)

प्राधिकृत अधिकारी, मुख्य प्रबन्धक, बीएम डेवेलपमेंट फाउंडनेन्स लि0 शीलवाड़ा-शीलवाड़ा।
 प्राधिकृत अधिकारी, मुख्य प्रबन्धक, बीएम डेवेलपमेंट फाउंडनेन्स कम्पनी लि0 शीलवाड़ा-शीलवाड़ा की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत द्वारा 14 दिवसीय आस्तियाँ का प्रतिभूति और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया। जिसमें प्रार्थी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थितान का ऋण सविधा प्रदान की थी। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर ग्राम वान्दरास ग्राम पंचायत वान्दरास पंचायत समिति माण्डल के आबादी में स्थित एक आवासीय भूखण्ड जिसका कर्ज क्षेत्रफल 2519.31 वर्गफुट भूमि का पट्टा संख्या 2 दिनांक 11.01.2016 पञ्चवली संख्या 2/2015 दिनांक 12.10.2015 से श्री श्रीकलाल पिता श्रीकलाल पारीक निवासी वान्दरास ग्राम पंचायत वान्दरास पंचायत समिति माण्डल तहसील त0 माण्डल जिला शीलवाड़ा के नाम जारी किया गया। जिसका पंजीयन दिनांक 20.01.2016 से करा स्वामित्व प्राप्त किया। अप्रार्थी के द्वारा उक्त भूखण्ड मय निर्माण सहित रहन रहना गया। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीया ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नो परफॉर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रहनी गई सांख्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

दिनांक : 19/07/2018

आदेश

उपरिथत :- श्री सतीश विजय प्रार्थी अधिवक्ता

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत द्वारा 14 दिवसीय आस्तियाँ का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

— प्रार्थी	— अप्रार्थितान
प्राधिकृत अधिकारी, मुख्य प्रबन्धक, बीएम डेवेलपमेंट फाउंडनेन्स कम्पनी लि0 शीलवाड़ा-शीलवाड़ा।	निवासी वान्दरास ग्राम पंचायत वान्दरास पंचायत समिति माण्डल
1. श्री महवीर पिता श्रीकलाल पारीक निवासी वान्दरास ग्राम पंचायत वान्दरास	2. श्री श्रीकलाल पिता श्रीकलाल पारीक निवासी वान्दरास ग्राम पंचायत वान्दरास

उपरोक्त

प्रकरण संख्या : 115/2018 प्रार्थना पत्र

पीठासीन अधिकारी शशि त्यागी (आई.ए.एस.)

न्यायालय जिला कलकटर एवं जिला मजिस्ट्रेट शीलवाड़ा

जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा
जिला कलेक्टर एवं
(व्यक्ति स्थान)

सिनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2018 को लिखया जाकर खले न्यायालय में बाद तकमील दलित दफतर ही।
सिनाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फूसल शुमार होकर नम्बर से कम ही अधीक्षक, भीलवाड़ा को पर्याप्त पुलिस जाणा मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति सम्पत्ति को कब्जे में लेते वकत कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थान आदेश न हो। रहन रखी जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सनिहित कर लिया जावे कि रहन रखी की धारा 31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्मलवाया ऑफ फाइनेशियल एसेट्स एण्ड एनकोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इन्वेस्ट एक्ट 2002 प्रार्थी के रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्युरिटी टेंडरेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।
नियमों के अनुसार किसी प्रकिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त 2.आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ-पत्र पर दिये जा रहे हैं यदि आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करवावे।
1.रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर सम्मलवाते वकत यदि नियमान्तर्गत को प्रार्थी को सम्मलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं:-
शपथ-पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विरोध कर उनके द्वारा दिये गये अनुसार समस्त कार्यावाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थान प्रार्थी अधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के